बौद्ध मिशन डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल

बनाम

भूपेश खुराना एवं अन्य

2001 की सिविल अपील संख्या 1135

13 फरवरी 2009

(दलवीर भंडारी और हरजीत सिंह बेदी, जेजे)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:

"सेवा में कमी - डेंटल कॉलेज, अपनी संबद्धता और मान्यता के बारे में गलत प्रचार पर, छात्रों को चार साल के बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश - कैपिटेशन शुल्क लेने का आरोप - माना गया: संस्थान न तो विश्वविद्यालय से संबद्ध था न ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है जैसा कि विज्ञापन में दावा किया गया था - राष्ट्रीय आयोग ने सही माना कि अनुचित व्यापार व्यवहार के समान पूरी तरह से गलत बयानी की गई थी और सेवा में कमी थी - शिकायतकर्ता राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए मुआवजे के साथ-साथ रुपये के भी हकदार होंगे। प्रत्येक को 1 लाख रुपये अतिरिक्त - उन्हें मुकदमे की लागत के रूप में संस्थान द्वारा प्रत्येक को 1 लाख रुपये का भुगतान भी किया जाएगा।

उत्तरदाताओं ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता डेंटल कॉलेज और अस्पताल द्वारा दिनांक 25.7.1993 को जारी एक विज्ञापन के अनुसार, उक्त विज्ञापन में दिए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के चार साल के डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। अपीलकर्ता कॉलेज मगध विश्वविद्यालय, बोधगया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली और पटना के तहत एक संस्थान था, उन्होंने इसके लिए आवेदन किया और प्रवेश और अन्य संबंधित खर्चों के अलावा उनमें से प्रत्येक से 1,00,000/- रुपये कैपिटेशन शुल्क/दान लेने के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। हालाँकि, जब शैक्षणिक सत्र के अंत में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई, तो यह पाया गया कि अपीलकर्ता कॉलेज किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं था और न ही इसे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त थी। आयोग ने माना कि अपीलकर्ता की ओर से सेवा की अपर्याप्तता थी और उत्तरदाता याचिका में किए गए दावों के हकदार थे। हालाँकि, चूंकि 1,00,000/- रुपये प्रत्येक के लिए ली गई कैपिटेशन फीस/दान की कोई रसीद नहीं थी, इसलिए आयोग ने उस संबंध में राहत देने से इनकार कर दिया। व्यथित होकर, कॉलेज ने अपील दायर की और उत्तरदाताओं ने प्रति-आपत्तियाँ दायर कीं।

न्यायालय द्वारा अपील एवं प्रत्याक्षेपों का निस्तारण अभिनिर्धारित किया :

1.1. यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता संस्थान न तो मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध है और न ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। संबंधित संस्थान से संबद्धता और मान्यता के अभाव में, अपीलकर्ता कॉलेज बीडीएस के चार साल के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू नहीं कर सका। [पैरा 31] [287-डी. इ]

बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा और अन्य एआईआर 1978 एससी 548

1.2 आयोग सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह संस्थान की ओर से पूरी तरह से गलत बयानी का मामला है जो अनुचित व्यापार अभ्यास के समान है। उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता कॉलेज द्वारा विचारार्थ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, जो न तो मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध था और न ही शिक्षा प्रदान करने के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त था। यह स्पष्ट रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिभाषित कमी के दायरे में आता है, इसलिए आयोग ने सही माना कि संस्थान की ओर से सेवा में कमी थी और दावेदार प्रतिवादी राहत का दावा करने के हकदार थे जैसा कि वाद में प्रार्थना की गई थी। [पैरा 33-34] [288-जी एच: 289-ए, बी, सी]

2.1 जहां तक उत्तरदाताओं द्वारा दायर प्रति आपत्तियों का सवाल है, अपीलकर्ता संस्थान ने पूरी तरह से भ्रामक और गलत विज्ञापन देकर उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से गुमराह किया कि संस्थान मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध है और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालांकि उत्तरदाताओं ने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने प्रत्येक ने कैपिटेशन शुल्क/चंदा एक लाख रुपये का भुगतान किया था और बार-बार अनुरोध करने के बावजूद रसीदें नहीं दी गईं, इस तथ्य को अपीलकर्ता ने अस्वीकार कर दिया है। तथ्य के विवादित प्रश्न के मद्देनजर, न्यायालय के लिए उत्तरदाताओं के तर्क को अनुमति देते हुए कोई विशिष्ट निष्कर्ष देना और उन्हें यह राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश देना मुश्किल है। हालाँकि, अपीलकर्ता संस्थान ने छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है और उनके करियर को लगभग बर्बाद कर दिया है और उत्तरदाताओं ने दो मूल्यवान शैक्षणिक वर्ष खो दिए हैं। [पैरा 35] [289-डी, ई, एफ, जी]

2.2 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने और न्याय के हित में, यह निर्देशित किया जाता है कि (i) उत्तरदाता-शिकायतकर्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा निर्देशित मुआवजे का हकदार है; (ii) अपीलकर्ता संस्थान अतिरिक्त रूप से प्रत्येक उत्तरदाता-शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा देगा। (iii) अपीलकर्ता संस्थान मुकदमे की लागत का भी भुगतान करेगा जो प्रत्येक

उत्तरदाता- शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये निर्धारित है। (iv) भुगतान दो महीने के भीतर किया जाएगा। [पैरा 36] पी289-एच; 290-ए 8, सी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1135/2001

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली 1994 के ओ.पी. संख्या 168 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.09.2000 से।

अपीलकर्ता की ओर से विजय कुमार, सी. जय राज, पंकज कुमार, विश्वजीत सिंह।

प्रतिवादी की ओर से सुनील कुमार, अवनीश सिन्हा, एस.के. मोहंती, सी.एस. यादव, हिमांशु शेखर, इरशाद अहमद (एन.पी.)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दलवीर भंडारी, जे.

1. यह अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में 'आयोग') द्वारा 1994 की मूल याचिका संख्या 168 में पारित दिनांक 29.9.2000 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

2. ग्यारह शिकायतें अपीलकर्ता के खिलाफ आयोग के समक्ष दायर किया गया था। बौद्ध मिशन डेंटल कॉलेज और अस्पताल अपने सचिव श्री आरए वात्सयायन के माध्यम से।

3. अपीलकर्ता ने 25.7.1993 को एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स में एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (संक्षेप में, बीडीएस) के डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन में, यह विशेष रूप से उजागर किया गया था कि अपीलकर्ता कॉलेज भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत विश्व बुद्ध परिषद द्वारा स्थापित और बिहार का एक प्रमुख प्रबंधित डेंटल कॉलेज है। अपीलकर्ता के कॉलेज के नाम के नीचे यह भी उल्लेख किया गया था कि उक्त संस्थान मगध विश्वविद्यालय, बोधगया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, सिद्धार्थ नगर, न्यू बेली रोड, पटना के तहत "द बुद्धिस्ट मिशन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल" है। उक्त विज्ञापन को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "बौद्ध मिशन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल"
>
> (मगध विश्वविद्यालय, बोधगया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, सिद्धार्थ नगर, न्यू बेली रोड, पटना-801305 के तहत)
>
> एक प्रमुख डेंटल कॉलेज भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत विश्व बुद्ध परिषद द्वारा स्थापित और प्रबंधित बिहार, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी मानदंडों और शर्तों को पूरा करता है।

बीडीएस पाठ्यक्रम 1993-94 के लिए प्रवेश सूचना

प्रथम वर्ष (बीडीएस) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

योग्यता - एसएससी या समकक्ष डिग्री के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान समूह में न्यूनतम 50% अंकों (आरक्षित उम्मीदवारों के मामले में 40%)

आवेदन पत्र और प्रॉस्पेक्टस 100/- रुपये के भुगतान पर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है (या डाक द्वारा अनुरोध किए जाने पर कॉलेज के नाम पर 110/- रुपये का डीडी द्वारा)।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.08.1993 है। परिसर में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास की सुविधा, बौद्ध एवं अन्य अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता।

कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं

(आरएस वात्स्यायन)

"सचिव"

4. यहां शिकायतकर्ता, उत्तरदाता, जिन्होंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और बेहतर कैरियर की संभावनाओं की तलाश में थे, उन्होंने अपीलकर्ता के विज्ञापन में शामिल तथ्यों को सच मानते हुए शैक्षणिक सत्र 1992-93 में अपीलकर्ता के कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया। शिकायत में कहा गया कि विज्ञापन में विशेष रूप से "नो कैपिटेशन फ़ी" का उल्लेख किया गया था। इससे जाहिर तौर पर यह आभास हुआ कि छात्रों से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन वास्तव में, प्रवेश के समय, प्रत्येक उत्तरदाता से 1,00,000/- रुपये नकद लिए गए थे और उत्तरदाताओं द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की कोई रसीद नहीं दी गई थी। जब उत्तरदाताओं ने भुगतान की गई उक्त राशि की रसीदों के लिए जोर दिया, तो उन्हें धमकी दी गई कि यदि वे रसीदें प्राप्त करने की मांग पर अड़े रहे, तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाताओं ने विभिन्न मदों जैसे प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क, विकास शुल्क, उपभोग्य सामग्रियों के शुल्क, हाउस-इन-प्रैक्टिकल, खेल, पत्रिकाएं, पुस्तकालय आदि के तहत पर्याप्त राशि का भुगतान किया था।

5. अपीलकर्ता कॉलेज में शामिल होने के बाद उत्तरदाताओं ने भी कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। कई महीनों के बाद उत्तरदाताओं को पता चला कि अपीलकर्ता द्वारा विज्ञापन के साथ-साथ प्रॉस्पेक्टस में

उत्तरदाताओं के सामने किया गया दावा गलत था, क्योंकि अपीलकर्ता कॉलेज न तो मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध था और न ही इसे भारत डेंटल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

6. शिकायत में, उत्तरदाताओं ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें अपीलकर्ता द्वारा सूचित किया गया था कि कॉलेज पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, शरीर रचना संग्रहालय, चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों, विधिवत सुसज्जित छात्रावास आवास और अच्छी तरह से योग्य शिक्षण स्टाफ से सुसज्जित है। लेकिन, वास्तव में, वहां कोई नियमित योग्य कर्मचारी नहीं था, कोई शरीर रचना संग्रहालय नहीं था, पुस्तकालय में शायद ही कोई प्रासंगिक किताबें थीं, प्रयोगशाला अपर्याप्त थी, क्योंकि अधिकांश आवश्यक उपकरण/उपकरण या तो उपलब्ध नहीं थे और जो उपलब्ध थे वे बहुत कम थे और प्रत्येक सत्र में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी।

7. उत्तरदाताओं ने प्रवेश के लिए बड़ी रकम खर्च की थी और इसके अलावा, उन्हें सभी प्रकार के आश्वासन भी दिए गए थे कि जल्द ही छात्रों को सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा और मगध विश्वविद्यालय और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होने के तुरंत बाद सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।। उत्तरदाताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आमतौर पर चार साल के उपरोक्त पाठ्यक्रम में, प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित

की जानी चाहिए, लेकिन अपीलकर्ता ने 1994 के अंत तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं की और निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित होने की कोई उम्मीद नहीं थी।

8. यह भी आरोप लगाया गया कि कोई प्रयास नहीं किये गये. अपीलकर्ता कॉलेज की संबद्धता या मान्यता के संबंध में कोई विकास नहीं हुआ था और उचित योग्यता के साथ नियमित शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति, पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में प्रासंगिक किताबें उपलब्ध कराने और उक्त संस्थान के मानक में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। छात्रों को अन्य सुविधाएं भी दी गईं, जिसके लिए उन्हें तमाम तरह के आश्वासन दिए गए।

9. उत्तरदाता बहुत निराश थे क्योंकि उनका पूरा शैक्षणिक करियर बर्बाद हो गया था। इसलिए, उन्होंने आयोग के समक्ष दावा याचिकाएं दायर कीं। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 29.9.2000 द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई शिकायतों में योग्यता और सार पाया और स्पष्ट रूप से माना कि अपीलकर्ता की ओर से सेवाओं की अपर्याप्तता थी और उत्तरदाता वैध रूप से याचिका में किए गए दावों के हकदार थे।

10. आयोग ने अपीलकर्ता को प्रवेश के समय भुगतान किए गए प्रवेश खर्च को राशि प्राप्त होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया और साथ

ही 20,000/- रुपये भी वापस करने का निर्देश दिया। उत्तरदाताओं में से प्रत्येक को किताबों की खरीद पर किए गए खर्च, मेस खर्च, दो साल के लिए छात्रावास के खर्च और दो मूल्यवान शैक्षणिक वर्षों के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान करना होगा। चूंकि उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए कैपिटेशन शुल्क/दान की कोई रसीद नहीं थी, इसलिए आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ उस संबंध में उत्तरदाताओं को कोई राहत नहीं दी। हालाँकि, आयोग ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को याचिका की लागत के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान करना होगा।

11. अपीलकर्ता ने, आयोग के दिनांक 29.9.2000 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 33 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के आदेश XX-एफ के साथ पठित इस अपील को प्राथमिकता दी।

12. इस न्यायालय ने स्वीकार किया अपील और नोटिस जारी किया गया और आदेश दिनांक 23.2.2001 द्वारा निर्देशित किया गया कि "चुनौती के तहत निर्णय/आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक रहेगी, बशर्ते कि अपीलकर्ता चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय आयोग के साथ निर्देशित राशि जमा कर दे।"

13. उत्तरदाताओं ने क्रॉस आपत्ति दर्ज की और प्रार्थना की कि अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाए - (ए) इस क्रॉस आपत्ति की अनुमति दें

और अपीलकर्ता को रु. 1,00,000/- जो कि कैपिटेशन शुल्क के रूप में लिया गया था उसका 15%; ब्याज दर से प्रवेश की तारीख से भुगतान की तारीख तक भुगतान करने का निर्देश दें, (बी) अपीलकर्ता को मुआवजे के रूप में केवल 20,000/- रुपये के बजाय 1,25,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दें; और (सी) अपीलकर्ता को वर्तमान कार्यवाही के लिए लागत का भुगतान करने का निर्देश दें।

14. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारे ध्यान में लाया कि अपीलकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा 23.2.2001 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया है। पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद इस न्यायालय ने दिनांक 26.11.2008 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> "राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ने आक्षेपित आदेश में, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को शिकायतकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश व्यय को वापस करने का निर्देश दिया। प्रवेश के समय राशि की प्राप्ति की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना की जाएगी और साथ ही प्रत्येक शिकायतकर्ता को खरीद पर किए गए खर्च के मुआवजे के रूप में 20,000/- रुपये दिए जाएंगे। किताबें, मेस खर्च, दो

साल के लिए हॉस्टल खर्च और दो मूल्यवान शैक्षणिक वर्षों के नुकसान के लिए।

इस न्यायालय ने 23.2.2001 को अपील स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि चुनौती के अधीन निर्णय/आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक रहेगी, शर्त के अधीन कि अपीलकर्ता चार सप्ताह के भीतर निर्देशानुसार राशि राष्ट्रीय आयोग के पास जमा कर दे।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आयोग के स्पष्ट आदेशों के बावजूद न तो ब्याज और न ही प्रत्येक शिकायतकर्ताओं को 20,000/- रुपये का भुगतान जमा किया गया है।।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि ब्याज की राशि और प्रत्येक शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 20,000/- रुपये का भुगतान आज से एक सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष जमा किया जाएगा।

इस उपक्रम के मद्देनजर, हम अपीलकर्ताओं (जो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 से 4 थे) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह राशि आज से एक सप्ताह के अंदर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष जमा करायी जाये. यह स्पष्ट किया गया है कि ब्याज राशि का भुगतान राशि प्राप्त होने की तिथि से भुगतान की तिथि (आयोग के निर्देशानुसार) तक किया जाएगा।

इस मामले को पुनः 3.12.2008 को आंशिक सुनवाई के रूप में सूचीबद्ध करें।

पार्टियों को सोमवार, यानी 1 दिसंबर, 2008 तक लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने की अनुमति है।"

15. जब मामला 3.12.2008 को फिर से आया, तो अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा कि अपीलकर्ता को अनुपालन करने की उनकी स्पष्ट सलाह के बावजूद इस न्यायालय द्वारा 26.11.2008 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं ने प्रार्थना की कि अपीलकर्ता को अवमानना नोटिस जारी किया जाए। उस स्तर पर, हमने अपील पर सुनवाई करना और अंतिम आदेश पारित करना उचित समझा।

16. यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने इस कॉलेज को शुरू किया और सही मायने में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना चाहता था और कॉलेज की स्थापना के तुरंत बाद 23.6.1989 को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर अपीलकर्ता के कॉलेज की स्थापना के बारे में सूचित किया और इसके लिए मंजूरी मांगी. यह भी उल्लेख किया गया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने पत्र दिनांक 5.9.1991 के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कॉलेज के निरीक्षण की सिफारिश की थी। यह भी उल्लेख किया गया कि विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार ने संबद्धता प्रदान करने के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के लिए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा था। यह भी उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमोदन और मगध विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वांछित संबद्धता और अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।

17. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख किया गया था कि "कॉलेज का शैक्षणिक पाठ्यक्रम डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार और डेंटल साइंस संकाय, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया द्वारा निर्धारित मानक को पूरा करता है।" बिहार जहां से यह संस्थान बैचलर ऑफ डेंटल साइंस (बीडीएस) की डिग्री प्रदान

करने के लिए संबद्धता चाहता है।" यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि प्रॉस्पेक्टस को समग्र रूप से पढ़ा जाता है तो यह बिना किसी अनिश्चित शब्दों के जानकारी देता है कि अपीलकर्ता संस्थान के पास उपलब्ध बुनियादी ढांचा और प्रॉस्पेक्टस की अभिन्न रीडिंग दूर-दूर तक यह संकेत नहीं देती है कि डेंटल काउंसिल की मंजूरी से संबंधित जानकारी भारत और मगध विश्वविद्यालय से संबद्धता बताने की कोशिश की गई।

18. यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता का संस्थान परीक्षा आयोजित करने के लिए उत्सुक था। अपीलकर्ता संस्थान का प्रबंधन परीक्षा आयोजित करने में उनकी अक्षमता के बारे में बहुत चिंतित था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 सहित छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा रहा था। अपीलकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने मान्यता और संबद्धता प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए।

19. अपीलकर्ता ने फिर से यह प्रचार करने का प्रयास किया कि अपीलकर्ता का संस्थान एक उद्योग है और अपीलकर्ता संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के अर्थ में सेवा में कमी है। इसके अलावा, अपीलकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 2(1)(आर) के अर्थ में अनुचित व्यापार व्यवहार के आरोप बिना किसी योग्यता के हैं।

20. उत्तरदाताओं ने इस अदालत में क्रॉस आपत्तियां भी दायर कीं, जिसमें कहा गया कि उत्तरदाताओं ने प्रवेश के समय नकद में 1 लाख रुपये का दान/कैपिटेशन शुल्क का भुगतान किया था। अपीलकर्ता संस्थान ने बार-बार अनुरोध के बावजूद दान/कैपिटेशन शुल्क की कोई रसीद जारी नहीं की।

21. श्री भूपेश खुराना, प्रतिवादी संख्या 1, ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता संस्थान की मांग पर, शिकायतकर्ताओं/प्रतिवादियों के माता-पिता ने संस्थान को प्रति छात्र 1 लाख रुपये की कैपिटेशन फीस/दान का भुगतान किया था। जिसके लिए आग्रह के बावजूद कोई रसीद जारी नहीं की गई।

22. अपीलकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि इसने भारी निवेश किया है और उन्हें वैध उम्मीद है कि मगध विश्वविद्यालय और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें संबद्धता और मान्यता प्रदान की जाएगी।

23. प्रतिवादी ने आपत्तियों में अपीलकर्ता के दावे का खंडन किया और प्रस्तुत किया कि कोई नियमित योग्य शिक्षण स्टाफ नहीं था। वहां कोई शरीर रचना संग्रहालय नहीं था, पुस्तकालय में कोई प्रासंगिक पुस्तक नहीं थी, प्रयोगशाला अपर्याप्त रूप से सुसज्जित थी क्योंकि अधिकांश

आवश्यक उपकरण/उपकरण या तो उपलब्ध नहीं थे और जो उपलब्ध थे वे बहुत कम संख्या में थे और प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं थे।

24. उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रवेश के लिए बड़ी राशि खर्च की है और उन्हें सभी प्रकार के आश्वासन दिए गए थे कि जल्द ही छात्रों को सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और मगध विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता और मान्यता प्राप्त होने के तुरंत बाद सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

25. उत्तरदाताओं ने यह भी शिकायत की कि चार वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, लेकिन 1994 के अंत तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई और निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित होने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि अपीलकर्ता को न तो संबद्धता मिली और न ही मान्यता। उत्तरदाताओं ने प्रति आपत्ति में यह भी उल्लेख किया कि छात्रावास/निजी आवास का शुल्क लगभग 15000/- रुपये, मेस शुल्क प्रति माह 500/- रुपये से अधिक और दो साल के लिए पॉकेट मनी सहित विविध खर्च लगभग 10000/- से 15000/- रु. रुपये थे। इसके अलावा प्रत्येक छात्र ने यात्रा व्यय के रूप में 6000/- से 7000/- रुपये से अधिक और पुस्तकों पर लगभग 8000/- से 10000/- रुपये तक खर्च किए थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक छात्र का वास्तविक खर्च 60000/- से 70000/- रुपये से अधिक था।

26. उत्तरदाताओं ने दावा किया कि आयोग यह समझने में विफल रहा कि प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र ने दान/कैपिटेशन शुल्क के रूप में 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया था। इस संस्थान में प्रवेश लेने से प्रत्येक छात्र ने दो शैक्षणिक वर्ष खो दिए हैं, जो न तो मान्यता प्राप्त था और न ही संबद्ध था। उत्तरदाताओं का पूरा शैक्षिक कैरियर बर्बाद हो गया है।

27. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आयोग के समक्ष की गई दलीलों को दोहराया। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना उसकी हार्दिक इच्छा थी और उसने बुनियादी ढांचे पर भारी राशि खर्च की है और उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे मगध विश्वविद्यालय से संबद्धता या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अपीलकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि उपलब्ध बुनियादी ढांचे को देखते हुए, मगध विश्वविद्यालय को संबद्धता प्रदान करनी चाहिए और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को मान्यता प्रदान करनी चाहिए।

28. अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि शिक्षा प्रदान करना व्यापार नहीं हो सकता है और इसलिए उपभोक्ता फोरम के पास प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र का अभाव है और **बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम राजप्पा एवं अन्य एआईआर 1978 एससी 548** के मामले पर निर्भरता सही नहीं था।

29. उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें "द हिंदुस्तान टाइम्स" दिनांक 25.07.1993 में प्रकाशित विज्ञापन द्वारा गुमराह किया गया है जिसमें बीडीएस के चार साल के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि बौद्ध मिशन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत विश्व बुद्ध परिषद द्वारा स्थापित और प्रबंधित बिहार का एक प्रमुख डेंटल कॉलेज है। कॉलेज के नाम के नीचे ही यह भी अंकित था कि उक्त संस्थान मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन "द बुद्धिस्ट मिशन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल" है। इस भ्रामक विज्ञापन के कारण, छात्र गुमराह हो गए और भारी कैपिटेशन शुल्क का भुगतान करने के बाद अपीलकर्ता संस्थान में प्रवेश ले लिया। उक्त विज्ञापन अगले शैक्षणिक वर्ष में दोहराया गया। उत्तरदाताओं ने गंभीर शिकायत की कि भ्रामक विज्ञापन के कारण उनका शैक्षणिक करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उन्होंने अपने दो मूल्यवान शैक्षणिक वर्ष और बड़ी धनराशि खो दी है, जिसका भुगतान उनके माता-पिता ने बड़ी मुश्किल से किया था।

30. हमने पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार किया है।

31. यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता संस्थान न तो मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध है और न ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा

मान्यता प्राप्त है। मगध विश्वविद्यालय से संबद्धता और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के अभाव में, अपीलकर्ता संस्थान बीडीएस के चार साल के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू नहीं कर सका। पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा:

> "हमारी राय में, विवाद निराधार है। विज्ञापन और प्रॉस्पेक्टस को समग्र रूप से पढ़ने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह धारणा दी गई थी कि कॉलेज मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध था और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त था। यदि कॉलेज संबद्ध और मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए छात्रों को प्रवेश देने और उनके मूल्यवान शैक्षणिक वर्षों को बर्बाद करने का कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा, विपक्षी दल इस अभ्यावेदन पर कि कॉलेज डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संबद्ध और मान्यता प्राप्त था पर वर्ष 1991-92 से वर्ष 1995 तक छात्रों को प्रवेश देते रहे हैं। । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मगध विश्वविद्यालय से संबद्धता और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई मान्यता के बिना, बीडीएस की तथाकथित डेंटल डिग्री सिर्फ कागज का एक बेकार टुकड़ा है। विज्ञापन में दिया गया यह प्रतिनिधित्व कि कॉलेज मगध विश्वविद्यालय के अधीन है और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता

प्राप्त है, एक आम व्यक्ति यह मान सकता है कि कॉलेज को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता दी गई थी और वह मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध था।"

32. आयोग ने यह भी माना कि **बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (सुप्रा)** में यह न्यायालय इस प्रकार है:[पृष्ठ 583 पर पैरा 118]: -

"...विश्वविद्यालय या एक शैक्षणिक संस्थान के मामले में, की प्रकृति गतिविधि, पूर्व परिकल्पना, शिक्षा है जो समुदाय के लिए एक सेवा है। एर्गो, विश्वविद्यालय एक उद्योग है..."

आयोग ने आगे कहा:

"किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा विचार के लिए शिक्षा प्रदान करना किसके दायरे में आता है? सेवा' जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिभाषित है। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है। यदि सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो शुल्क के भुगतान का सवाल ही नहीं उठता। शिकायतकर्ताओं ने प्रतिवादी की सेवाओं को प्रतिफल पर नियुक्त किया था इसलिए वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिभाषित उपभोक्ता हैं।"

33. आयोग सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह संस्थान की ओर से पूरी तरह से गलत बयानी का मामला है जो अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है। उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता कॉलेज द्वारा विचारार्थ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, जो शिक्षा प्रदान करने के लिए न तो संबद्ध था और न ही मान्यता प्राप्त था। यह स्पष्ट रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिभाषित कमी के दायरे में आता है, जो 'कमी' को इस प्रकार परिभाषित करता है:

> "कमी' का अर्थ है गुणवत्ता, प्रकृति और प्रदर्शन के तरीके में कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता जो आवश्यक है किसी भी कानून के तहत या उसके तहत बनाए रखा जाना चाहिए या किसी अनुबंध के अनुसरण में या अन्यथा किसी सेवा के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए।''

34. इसलिए, आयोग ने सही माना कि संस्थान और दावेदारों की ओर से सेवा में कमी थी जैसा कि वादपत्र में प्रार्थना की गई है, पक्षकार राहत का दावा करने के हकदार हैं। अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

35. जहां तक उत्तरदाताओं द्वारा दायर प्रति आपत्तियों का सवाल है, हमारी राय है कि अपीलकर्ता संस्थान ने पूरी तरह से भ्रामक और गलत

विज्ञापन देकर उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से गुमराह किया है कि संस्थान मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध है और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। उत्तरदाताओं ने अपने दो मूल्यवान शैक्षणिक वर्ष खो दिए हैं जिसका उनके भविष्य के करियर पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उत्तरदाताओं ने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने एक-एक लाख रुपये कैपिटेशन शुल्क/दान का भुगतान किया था और बार-बार अनुरोध करने के बावजूद रसीद नहीं दी गई, जिस तथ्य को अपीलकर्ता ने नकार दिया है। तथ्य के विवादित प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए उत्तरदाताओं के तर्क को स्वीकार करते हुए कोई विशिष्ट निष्कर्ष देना और उन्हें ब्याज सहित यह राशि वापस करने का निर्देश देना कठिन है। हालाँकि, हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि अपीलकर्ता संस्थान ने छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है और उनके करियर को लगभग बर्बाद कर दिया है और उत्तरदाताओं ने दो मूल्यवान शैक्षणिक वर्ष खो दिए हैं।

36. हमारे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए और न्याय के हित में, हम निम्नलिखित निर्देश पारित करना उचित समझते हैं:

i) उत्तरदाता (शिकायतकर्ता) इसके हकदार होंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्देशानुसार मुआवजा। यदि राशि जमा कर दी गई है, तो उत्तरदाता उसे वापस लेने के हकदार होंगे।

(ii) हम अपीलकर्ता संस्थान को अतिरिक्त रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं। प्रत्येक उत्तरदाता (शिकायतकर्ता) को एक लाख।

(iii) हम अपीलकर्ता संस्थान को मुकदमे की लागत का भुगतान करने का भी निर्देश देते हैं जो प्रत्येक उत्तरदाता (शिकायतकर्ता) को एक लाख रुपये निर्धारित है।

(iv) अपीलकर्ता संस्थान को दो महीने की अवधि के भीतर मुआवजे की राशि और लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

37. अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील तदनुसार लागत के साथ खारिज कर दी जाती है और उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई क्रॉस-आपत्तियों को पिछले पैराग्राफ में इंगित शर्तों के अनुसार लागत के साथ अनुमति दी जाती है।

38. नतीजतन, अपील और प्रति आपत्तियों का निपटारा किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नवीन सिंह गुर्जर (आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यो के लिए निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य से भी अग्रेंजी संस्करण ही मान्य होगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ---------- (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।